न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपालाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 2/17

1. श्री नानुराम पिता श्री फुलजी मीणा निवासी मोबाखेडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

2. श्री सुग्रीव पिता श्री फुलजी मीणा निवासी मोबाखेडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती होमली पुत्री नागजी मीणा पत्नी उंकार मीणा निवासी भेरूखांकरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

2. श्रीमती अंजना पुत्री नागजी मीणा पत्नी रतन मीणा निवासी पिगथली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 658

उपस्थितः–

1. श्री विमल कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री सी.पी. सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक 17.07.2019

संक्षिप्त में अपीलान्ट्स द्वारा अपील निम्न कारणों पर पेश की गई है:–

1. यह कि अपीलान्ट के पिता फुलजी व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1–2 के पिता श्री नागजी सगे भाई है। श्री फुलजी व नागजी का स्वर्गवास हो गया है। नागजी अपीलान्ट्स के बड़े पिताजी थे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

2. यह कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागु नही होता है। इससे पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में विरासती अधिकार प्राप्त नही होते है। कानूनन फुलजी व नागजी के वारिस अपीलान्टगण ही है।
3. यह कि मौजा डोराना में अपीलान्ट्सगण के बडे पिताजी श्री नागजी पिता श्री उंकार मीणा के नाम पर निम्नलिखित आराजीयात दर्ज रिकार्ड है:–

आराजी नम्बर	क्षैत्रफल
959	0.64
960	0.06

कुल किता 02 कुल क्षैत्रफल 0.70 हैक्टर

4. यह कि मीणा जाति में पुत्रियों को विरासती अधिकार नही होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1–2 ने पटवारी हल्का से मिल मिलाकर चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात के विरासत से नामान्तरकरण संख्या 658 खुलवा लिया। जबकि रेस्पोडेन्ट्स को उक्त आराजीयात पर कोई हक व अधिकार नही है। उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त व भुगतभोग में चली आ रही है।
5. यह कि नामान्तरकरण कानूनन गलत होने से ऐसे नामान्तरकरण कभी भी निरस्त किये जा सकते है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्स बिना किसी अधिकार के दिनांक 26.03.2017 को कब्जा करने की कोशिश की व कहा कि आराजी हमारे खाते में है जिस पर हम कब्जा करके रहेंगे। जिस पर अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का से जानकारी की तो मालुम हुआ कि रेस्पोडेन्ट्स ने मिल मिलाकर गलत नामान्तरकरण खुलवा लिया जिस पर अपीलान्ट्स ने तहसील में नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना दिनांक 05.04.2017 को पेश किया जिस पर नकल नामान्तरकरण की दिनांक 06.04.2017 को मिली।

अतः अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर मौजा डोराना पटवार हल्का मोहेडा तहसील अरनोद का नामान्तरकरण संख्या 658 खारीज किया जाकर आराजीयात अपीलान्ट्स के नाम पर दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स को कई बार जवाब हेतु अवसर दिये के उपरान्त भी जवाब नही दिया गया। अतः दिनांक 26.09.2017 को प्रकरण में जवाब बन्द किया। पत्रावली में दिनांक 05.10.2017 को आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.11.2017 को अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया व प्रार्थना पत्र वास्ते बहस हेतु आगामी पेशी नियत की गई। प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.04.2018 को बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश 07.05.2018 नियत की गई। नियत दिनांक को अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में तृतीय पक्षकार के रूप में श्री अम्बालाल पिता धीरजी मीणा निवासी डोरानाखेडा तहसील अरनोद को रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार नियोजित किये जाने का आदेश किया गया।

प्रकरण में दिनांक 15.04.2019 को अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी जावे। प्रार्थना पत्र की छायाप्रति अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट को दी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विचाराधीन प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नही हैं एवं दोनो प्रकरणों के प्रकरण संख्या व आराजी नम्बर भी भिन्न है। अतः प्रकरण में कार्यवाही स्थगित नही की जावे। प्रकरण में दिनांक 08.05.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा दिनांक 16.05.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर मूल प्रकरण में बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्सगण के पिता श्री उंकारजी व रेस्पोडेण्ट के पिता नागजी दोनो सगे भाई हैं। अपीलान्ट्सगण के काका श्री नागजी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा डोराना में आराजियात है जिसका विवरण अपील की चरण संख्या 3 मे दर्ज किया है साथ ही अपीलान्ट्सगण के पिता व रेस्पोडेण्ट्स के पिता श्री नागजी का एक शामलाती खाता भी मौजा मोबाखेडी में स्थित हैं। जिसका विवरण भी अपील की चरण संख्या 3 में दर्ज है। अपीलाण्ट्सगण के पिता के स्वर्गवास होने पर उनके विरासत का नामांतरकरण अपीलाण्ट्सगण के नाम खुल चुका है व रेस्पोडेण्टस के पिता के स्वर्गवास होने से उनके हिस्से का नामांतरकरण रेस्पोडेण्ट्स के नाम खोला गया है, जो कानुनन गलत है इससे अपीलान्ट्सगण ने यह अपील पेश की हैं। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर मौजा डोराना का नामान्तरकरण संख्या 658 खारीज फरमाया जावे तथा विरासत से आराजियात अपीलान्ट्सगण के नाम दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

कराने का आदेश प्रदान किया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्सगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस माने जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया की विरासती नामान्तरकरण संख्या 658 के अनुसार मृतक नागजी पुत्र उंकार मीणा के नाम ग्राम डोराना पटवार हल्का मोहेडा तहसील अरनोद की आराजीयात संख्या 959 व 960 रकबा 0.70 हैक्टर भूमियां दिगर मृतक खातेदार (नागजी) की स्वतंत्र मौरूसी भूमियां थी जिसके उत्तराधिकारिता में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 श्रीमती होमली एवं श्रीमती अंजना पुत्री नागजी मीणा ही जायन्दा सन्ताने पुत्रियां विधिक ब्लड रिलेटीव वारीसान रही है तथा अपीलान्ट मृतक के छोटे भाई फूलजी पुत्र उंकार मीणा की संताने होकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मृतक पिता नगजी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज भूमियों में विरासत से इन्तकाल संख्या 658 द्वारा 1/2– 1/2 हक हिस्सा विधिवत कायम किया गया है।

प्रकरण में दिगर खातेदार के नाम दर्ज रकबा 0.70 हैक्टर भूमियों के स्वतंत्र रूप से दिगर खातेदारी में दर्ज रहते उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमियां रेस्पोडेन्टेगण के नाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार स्वरूप दर्ज की गई है। किसी भी अधिनियम या नियम के तहत पुत्री का उत्तराधिकार वर्जित नहीं हैं। अतः नामान्तरकरण खारिज करने का कोई आधार मौजूद नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारीज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपालाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)